

न्यायालय सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम, कौशाम्बी।

उपस्थित:-सबा फातिमा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद सं० -183 / 2003

1. हसमत उल्ला उम्र 55 वर्ष ।
2. सखावत उल्ला उम्र 45 वर्ष । पुत्रगण बाबू खां
3. मोहम्मद रिजवी उर्फ भोले उम्र 32 वर्ष ।
निवासीगण ग्राम पाता परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद
कौशाम्बी ।वादीगण ।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिलाधिकारी कौशाम्बी ।
2. उपजिलाधिकारी मंझनपुर जनपद कौशाम्बी ।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
4. टाउन एरिया मंझनपुर जरिये चेयरमैन परगना करारी मंझनपुर जनपद
कौशाम्बी ।प्रतिवादीगण ।

:- निर्णय :-

वादीगण ने यह दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।

वाद पत्र के अनुसार वादीगण का कथन इस प्रकार है कि वादीगण का सजरा खानदान निम्नरूप से प्रस्तुत करते हैं-

बासू खां

।

बाबू खां

।

.....

।	।	।
हसमत उल्ला	सखावत उल्ला	मो० रिजवी उर्फ भोले
वादी सं० 1	वादी सं० 2	वादी सं० 3

वादीगण के पूर्वज आराजी गाटा संख्या-359/2 रकबा 6 बिस्वा स्थित मौजा पाता परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में अर्सा उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से मकान कच्चा बैठका व

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशाम्बी ।

आरा मशीन, आटा चक्की व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुएं कायम करके बतौर स्वामी मालिक काबिज दखील होकर उपयोग उपभोग करते रहे बाद वफात पूर्वज उसी हैसियत से वादीगण काबिज दखील होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे किसी से कभी मतलब सरोकार नही था और न वर्तमान में है। वादीगण के पूर्वज पिता स्व० बाबू खां तत्कालीन जमींदार सैयद अली अतहर अपनी जौजा मुस्मात अजीज फात्मा की जानिब से उत्तर दक्षिण 45 गज लम्बी व पूरब-पश्चिम 24 गज चौडी मकान बनाने की गरज से पाता मंझनपुर में खैराती अस्पताल से लगा उत्तर की तरफ मु० 50/-रु० में पटटा कर दिया। इस पटटा वाली विवादित भूमि जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बहरूफ क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है के उत्तर में पूरब पश्चिम तहसील का रास्ता तथा जमीन के पूरब में उत्तर दक्षिण बाजार का रास्ता है को दि० 15.07.1942 में लिखा है जिस पर वादीगण के पूर्वज काबिज दखील होकर उपरोक्त इस्तेमाली वस्तुएं कायम कर इस्तेमाल करते रहे वाद वफात वादीगण बहैसियत पूर्वज काबिज दखील होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के पूर्वज द्वारा बनाये गये मकान को बरसात में गिर जाने के कारण रहाइश में परेशानी होने लगी तो वादीगण के पूर्वज उसी विवादित भूखण्ड आराजी गाटा सं०-359/2 जिसको जरिये पटटा दि० 15.07.1942 को प्राप्त किया था जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी बहरूफ क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया है में मकान बनाना चाहा तो कुछ अराजक तत्व निर्माण कार्य में अवरोध व व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया तो वादीगण के पूर्वज मकान बनाने की गरज से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में मकान बनाने का प्रार्थनापत्र दिया क्यों कि उस समय ग्राम मे चकबंदी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी जिसमें उक्त बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी महोदय ने तत्कालीन ग्राम प्रधान केदारनाथ ने दि० 06.04.78 को बयान दिया कि आराजी गाटा सं० 359/2 में अर्सा 40 वर्ष पूर्व बाबू खां वल्द बासूखां का लगभग 40 वर्ष से मकान बना हुआ है इसे वह फिर से बनवाना चाहते है इन्हे परमीशन दिया जाये किसी किसम की कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज स्व० बाबू खां आराजी गाटा सं० 359/2 रकबा 6 बिस्वा जिसको जरिये पटटा दि० 15.07.1942 को जरिये पटटा जिसकी लंबाई 45 गुणे 24 गज थी जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बहरूफ क,ख,ग,घ से

प्रदर्शित किया गया है विवादित भूखण्ड में मकान, बैठका, कबाड की दुकान, आरा मशीन व चक्की आटा की व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुएं कायम किया और उसका बतौर स्वामी मालिक उपयोग उपभोग करते रहे और वाद वफात पूर्वज वादीगण कर रहे है जिससे किसी से कोई मतलब नही था और न वर्तमान में है। आराजी गाटा संख्या-359/2 रकबा 6 बिस्वा 45 गुणे 24 गज पूर्णरूप से मकान बैठका, आरा मशीन आटा चक्की, कबाड की दुकान व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुये से आच्छादित एवं घिरा होने के कारण राजस्व राजकीय अभिलेख खसरा में बंजर/आबादी दर्ज रही चली आ रही है। आराजी गाटा संख्या-359/2 रकबा 6 बिस्वा 45 गुणे 24 गज जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बहरूफ क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है में स्थित मकान बैठका, आरामशीन कबाड की दुकान आटा चक्की व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुओ से प्रतिवादीगण से कोई मतलब नही है क्योकि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत विवादित उपरोक्त भूखण्ड के समस्त स्वत्व स्वामित्व, हक हकूफ वादीगण में निहित हो चुके है प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के जबरन शोरेपुस्ती से वादीगण को आये दिन आराजी गाटा संख्या 359/2 रकबा 6 बिस्वा 45 गुणे 24 गज जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बहरूफ क, ख,ग,घ से प्रदर्शित विवादित भूखण्ड में स्थित मकान को गिराने एवं कबाड की दुकान को फेक देने एवं आरा मशीन को उखडवाकर फेकवा देने एवं वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप करने की धमकी देते रहते है और प्रतिवादीगण वादीगण से नाजायज धन की मांग करते रहते है। प्रतिवादीगण दिनांक 10.03.2003 को बिना किसी हक व अधिकार के अपने नौकरो व एजेण्टों व मेली मददगारों के साथ विवादित भूखण्ड आराजी गाटा सं0 359/2, 45 गुणे 24 गज जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में बहरूफ क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है में स्थित मकान को ध्वस्त करने का प्रयास करने एवं कबाड की दुकान को फेकने एवं आरा मशीन एवं आटा चक्की एवं उसमें स्थित अन्य दीगर वस्तुओ को फेकवाने का प्रयास करने लगे एवं वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा दखल उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगे। वाद का कारण दिनांक 10.03.2003 को विवादित भू खण्ड सं0 359/2, 45 गुणे 24 गज वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित बहरूफ क,ख,ग,घ में

स्थित मकान व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुओं को ध्वस्त करने की धमकी देने एवं प्रयास करने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ और न्यायालय को सुनवाई एवं निस्तारण का हक व अधिकार प्राप्त है।

वादीगण द्वारा याचना की गयी कि जरिये अदालत द्वारा डिग्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण एवं उनके नौकरों, एजेण्टों व मेली मददगारों को मना किया जाये कि आराजी गाटा सं०-359/2 45 गुणे 24 गज स्थित ग्राम पाता परगना करारी जनपद कौशाम्बी वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में प्रदर्शित बहुरूफ क,ख,ग,घ में स्थित मकान को ध्वस्त न करे, न आरा मशीन व आटा चक्की को उखडवाकर फेकवाये, न कबाड की दुकान को फेकवाये व नष्ट करें, न वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा दखल व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व व्यवधान करें एवं जरिये अदालत घ घोषित किया जाये कि आराजी गाटा संख्या 359/2 45 गुणे 24 गज स्थित ग्राम पाता परगना करारी जनपद कौशाम्बी वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में प्रदर्शित बहुरूफ क,ख,ग,घ में स्थित मकान व अन्य दीगर इस्तेमाली वस्तुएं वादीगण की है।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से अपना जबावदावा कागज संख्या 29क दाखिल कर वादपत्र के कथनो से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका खसरा नं० 359 है पूर्णतया सरकारी नजूल की सम्पत्ति है जो राज्य सरकार के अधीन है। इस पर वादीगण को न तो किसी प्रकार का स्वत्व, अधिकार व हक हासिल है और न ही स्वत्व व अधिकार प्राप्त ही हो सकता है। वादीगण द्वारा कथित जमीनदार द्वारा पट्टा दिये जाने की बात बिल्कुल बनावटी, फर्जी व मनगढन्त है तथा मुकदमें के उद्देश्य से कूटरचित किया गया सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सम्पत्ति जमींदारी विनाश के पूर्व से ही नजूल सम्पत्ति थी जिस पर जमींदार को पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं था और इस प्रकार कथित बनावटी फर्जी व नुमाइशी पट्टे के आधार पर भी वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति/भूमि पर किसी भी प्रकार के स्वत्व व अधिकार का निर्धारण विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता। दावा वादी बिना किसी विधिक अधिकार व स्वत्व के है। दावा वादी विशिष्ट अनुतोष अधि० की धारा 34,38 व 41 से बाधित है। वादीगण के पिता स्व० बाबूखां स्वयं वादग्रस्त जमीन को जिला परिषद/जिला पंचायत/राज्य सरकार से साल दर साल

पट्टे पर लेकर लकड़ी की टाल आदि चलाई जा रही थी इस प्रकार जमीनदार से पट्टे पर लेने की बात बिल्कुल गलत है। दावा वादीगण विवन्धन व (मौन स्वीकृति) से सिद्धान्त से बाधित है। दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से बाधित है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अपना जवाबदावा कागज संख्या 19क दाखिल करते हुए वादपत्र के कथनों से इनकार किया गया एवं अतिरिक्त कथन किया गया कि विवादित भूमि नजूल की सम्पत्ति है। जिसकी स्वामी शासनादेशों के तहत कौशाम्बी जनपद बनने से पूर्व जिला पंचायत इलाहाबाद थी अब नया जिला बनने के बाद जिला पंचायत कौशाम्बी के स्वामित्व और कब्जे में है। वादीगण का यह कथन कि पूर्वज 359/2 में यू.पी.जेड.ए. के पूर्व मकान आरा मशीन बनाकर बतौर स्वामी काबिज थे पूर्णतः झूठा व गलत है। विवादित भूमि में बने कमरों को बाबूमियां जिला पंचायत से नीलामी में लिया करते थे और साल ब साल बोली में जिसकी भी बोली की अधिक धनराशि होती थी उसके हक में नीलाम हुआ करता था जिसके तहत बाबूमियां ने 03.09.71 से 03.09.72 तक पहली बार नीलाम पर लिया। छाया प्रति कार्यवाही जिला पंचायत इलाहाबाद फ0सं0 40/71-72 संलग्नक क्रमशः है। 05.08.75 को वादीगण के पिता बाबूखां ने जिला पंचायत में 90 वर्ष के पट्टे के लिए दरखास्त दी जो जिला पंचायत द्वारा 19.06.75 को निरस्त की गयी। 12.08.75 को बाबूमियां ने पुनः नीलाम किया छाया प्रति संलग्नक क्रमशः साथ में नथी है। 16.09.75 को उक्त प्लॉट व कमरे 300/-रु0 सालाना पर स्वीकृत हुआ। इसके बाद पुनः नीलामी की कार्यवाही में भाग लेकर बाबूमियां ने एक वर्ष के लिए नीलाम लिया। वादीगण का यह कथन कि मुसम्मात अजीफात्मा की जानिब से पट्टा लिया था बिल्कुल झूठी कहानी है जो एक स्वयं जालसाजी तथा दण्डनीय अपराध है। दावा वादीगण के पैरा 4 में यह कथन कि मकान गिर गया पुनः मकान बनाना चाहते हैं अवरोध उत्पन्न करने लगे तब चकबंदी न्यायालय में मकान बनाने का प्रार्थना पत्र दिया और बतौर मालिक उपयोग उपभोग करते रहे बिल्कुल झूठा व गलत है। बदनियती से वादीगण के पिता ने जिला पंचायत कार्यालय इलाहाबाद में होने की वजह से उक्त भूमि पर अपनी जिन्दगी में ही विवादित भूमि को हथियाने के चक्कर में रहे। वादीगण के विवादित भूमि जो नजूल की सम्पत्ति है उस पर किसी भी प्रकार का

कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हो सकता है न कभी रहा है। वादी हसमतउल्ला के भाई फ़ैजुल्ला ने जि०पं० की ही नजूल की जमीन को 28.01.97 की तारीख में गलत तरीके से रामेश्वर प्रसाद के हाथ बेचा जिसको विक्रय का कोई हक प्राप्त नहीं था। जिसका कोई तस्करा वादपत्र में न किया गया है न बैनुल्ला अथवा उसके वारिसानों को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण के पिता ने 23.05.79 को बदनियती से अपने लडको से राय मशविरा लेकर अजय कुमार वगैरह के पक्ष में विक्रय किया जो बिल्कुल गलत है। जिसकी चौहददी दक्षिण परती भूमि तथा उत्तर रिहायशी मकान मिनमुकिर का कहा गया है जबकि 14.06.79 को बाबूमियां ने किराया जमा करने की दरखास्त देते हुए मकान मरम्मत की दरखास्त दी जिसमें कोठरी बनी होने का तस्करा है। वादीगण के पिता और वादीगण प्रारम्भ से ही वास्तविकता को छिपाकर जिला पंचायत की नजूल की भूमि को अनाधिकृत रूप से विपक्षी बताकर त्रियुगी मिश्र और अब फर्जी पट्टे के आधार पर अपनी बता रहे हैं बिल्कुल गलत है विक्रय का अधिकार न तो बाबूमिया को था न वैतुल्ला को। वादपत्र में वादीगणों ने उक्त सारे तथ्यों को छिपाया है। बाबूखां और वैतुल्ला द्वारा विवादित भूमि नजूल की भूमि में से जो जमीन बदनियती से 15 गुणे 30 शम्भू वगैरह के हक में 28.01.97 को 45 गुणे 24 अजय वगैरह के हक में 12 गुणे 30 सीताराम के हक में विक्रय किया इसे इस वादपत्र में छिपाया गया है। जिससे वाद स्वतः दोषपूर्ण है। वादपत्र में 45 गज गुणे 24 गज का स्वतः 1/2, 1/2 साढे सात विस्वा होती है को स्वयं में डेढ विस्वा ज्यादा होता है तथा विक्रित रकबा 2 बिस्वा हो जाता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा रचित कहानी स्वतः भी झूठी साबित होती है। वादीगण द्वारा दाखिल पट्टे की छाया प्रति फर्जी है जो मुकदमें के दौरान जाली रूप से जालसाजी करके बनाया गया है जिसमें पुराने स्टाम्प पर जालसाजी करते हुए 420,467,471 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध है इस लेख में कही भी भूमि की चौहददी में पश्चिम तरफ बनी मुख्तार साहब की लाईब्रेरी जिसकी इमारत आज भी बनी है उसका कोई तस्करा नहीं है तथा पश्चिम क्या है कुछ भी नहीं लिखा है जो स्वतः संदेहास्पद तथा अविश्वसनीय है। विवादित भूमि नजूल की भूमि है जिस पर मजहर अब्बास को बेदखल किया गया था बेदखली के बाद 03.09.71 को नीलामी की गयी जो 04.09.71 को जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत हुई छाया प्रति साथ

में संलग्न है। 26.08.72 को एक साल के लिए 80/-रु0 बाबू के नाम नीलाम हुआ। 12.07.74 को 110 में बाबूमियां ने नीलाम किया गया। दिनांक 05.08.75 को बाबू खां द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को दरखास्त दी गयी "कि किराया पर लिया है 90 वर्ष का पट्टा कर दिया जाये।" 16.09.75 की दरखास्त 300/-रु0 में लेने की मंजूरी की छाया प्रति तथा 10.08.76 एवं 20.08.77 की नीलामी के अभिलेखों की छाया प्रति साथ में संलग्न है। बाबूमियां को जिला पंचायत की तरफ से दी गयी नोटिस दिनांक 02.09.77 की छाया प्रति के साथ संलग्न है एवं 07.09.77 को जिला पंचायत ने कोठरी की मरम्मत हेतु दी गयी दरखास्त की छाया प्रति संलग्न है। इस प्रकार वादीगण के पिता के द्वारा दी गयी दरखास्तों से जिला पंचायत का स्वत्व प्रमाणित है तथा बाबू खां द्वारा स्वीकार है जिस पर वादीगण को कोई हक व स्वत्व हासिल नहीं है। अतः दावा वादी निरस्त होने योग्य है।

उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त एवं उनके द्वारा दाखिल प्रतिपादनाओं के आधार पर दिनांक 23.09.2008 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये—

1. क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है एवं विवादित सम्पत्ति के मालिक घोषित किये जाने योग्य है, यदि हां तो प्रभाव?
2. क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम करके न्यायशुल्क कम अदा किया गया है?
3. क्या दावा वादीगण विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित है?
4. क्या दावा वादीगण विशिष्ट अनुतोष अधि० की धारा 34,38 व 41 से बाधित है?
5. क्या दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?
6. क्या दावा वादीगण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधि० की धारा-257 से बाधित है?
7. क्या दावा वादीगण धारा-80 सी.पी.सी. से बाधित है?
8. क्या दावा वादीगण अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फेहरिस्त सूची दि० 07.12.2022 के माध्यम से वाद संख्या 518 सन 1998 हसमतउल्ला बनाम टाउन एरिया में पारित आदेश दि० 11.01.2008 की सत्यप्रतिलिपि, नकल साक्ष्य शपथपत्र, साक्ष्य शपथपत्र पी०डब्ल्यू-2 बैतुल्ल की सत्यप्रतिलिपि,

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कोशाम्बी।

पी0डब्ल्यू-3 वाजिद अली की सत्यप्रतिलिपि, लिखित बहस वादी की सत्यप्रतिलिपि तथा सूची 48ग से दो किता रसीद मूल प्रति गृहकर नगर पंचायत मंझनपुर, सूची दि0 22.08.2022 से 1 ता 61 चालान रसीद व अन्य रसीदे दाखिल किया गया है।

वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 49ग दाखिल किया गया। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू-1 के रूप में हस्मत उल्ला का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 52क, पी0डब्ल्यू-2 सखावतउल्ला का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 50क तथा पी0डब्ल्यू-3 मो0 रिजवी का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 54क, पी0डब्ल्यू-4 वाजिद अली का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 53क, पी0डब्ल्यू-5 नईम उल्ला का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-51क दाखिल किया गया तथा साक्षी पी0डब्ल्यू-1 हस्मतउल्ला, साक्षी पी0डब्ल्यू-2 सखावतउल्ला, पी0डब्ल्यू-3 मो0 रिजवी व पी0डब्ल्यू-4 वाजिद अली से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 197ग/2 से नकल सत्यप्रतिलिपि याचिका अन्तर्गत धारा-4 यूपीपी एक्ट जिला पंचायत बनाम हसमत उल्ला आदि, सूची 156ग से नकल खसरा बावत आराजी सं. 344/2, 344/3,366,358 व 359 मौजा पाता तहसील मंझनपुर व सूची 158ग से मूल पट्टा दि0 15.07.1942 बहक बाबूखां, नक्शा चकबंदी ग्राम पाता, नकल खसरा 1413 फसली बावत 359/2, नकल खसरा 1412 फसली मौजा पाता, आख्या नगर पंचायत अध्यक्ष दि0 25.08.2014 का मूल दस्तावेज दाखिल किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्ल्यू-1 शत्रुधन प्रसाद का साक्ष्य शपथपत्र 60क, डी0डब्ल्यू-2 धर्मराज सिंह का साक्ष्य शपथपत्र 87क दाखिल किया गया तथा साक्षी डी0डब्ल्यू-1 शत्रुधन प्रसाद से वादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

:- निष्कर्ष:-

9. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1. वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित सम्पत्ति नक्शे में सही दिखायी गयी है? उक्त दोनो वाद बिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण पर है।

12. वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण का मकान ग्राम सिरियावा कला परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी, इलाहाबाद में स्थित है व वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ नक्शा नजरी संलग्न किया गया है जिसमें अपने मकान को वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न नक्शा नजरी में क,ख,ग,घ,प,फ,ब,म,र से दिखाया गया है जिसके पश्चिम में वादी का सेहन दरवाजा व सेहन दरवाजे के उत्तर में एक कमरा होना दर्शित किया गया है। जिसमें दो दरवाजे है एक उत्तर व एक दक्षिण जानिब है व एक पुराना नीम का पेड सेहन दरवाजा में कायम चला आ रहा है। वादी द्वारा वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने सेहन में बने हुए कमरे के दरवाजे उखाड़े और सेहन पर कब्जा करने व सदर दरवाजा बंद करने की कोशिश व नीम के पेड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे है।

13. मौके की वास्तविक स्थिति जानने हेतु अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से कमिशन कराया गया। दिनांक 27.08.2022 को कमिशन आख्या साक्ष्याधीन सम्पुष्ट किया गया है।

14. वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति जरिये वसीयतनामा बताया गया है। वसीयतनामा कागज संख्या 8ग पत्रावली में संलग्न है, जिसमें विवादित सम्पत्ति का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही चौहददी दर्शायी गयी है वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में विवादित सेहन भूमि पश्चिम की तरफ दर्शायी गयी है और उसके बाद कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। जबकि अमीन की ओर से प्राप्त आख्या में प्रदर्शित नक्शे पर वादी के भवन के पश्चिम की ओर कच्चा रास्ता दर्शाया गया है इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मकान का निकास उस तरफ बनाये, जिस तरफ कोई रास्ता न हो।

15. यहां यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृत रूप से वादी के नक्शा में दक्षिण रास्ता आम है किन्तु वादी द्वारा दक्षिण की तरफ

कोई निकास दर्शित नहीं किया गया है। इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि वादी द्वारा निकास आम रास्ते की तरफ न बनाकर उस तरफ बनाया गया है जिस तरफ कोई रास्ता नहीं है जैसा कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित है।

16. वादीगण द्वारा बतौर पी0डब्ल्यू-1 मुन्नूलाल जो स्वयं वादी मुकदमा संख्या 1 है को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में वादपत्र का समर्थन किया है व अपने जिरह में कथन किया है कि "यह मकान मुझे कच्चा मिला था। मैंने इसे पक्का मकान बनवाया रियासत अली का खेत मेरे मकान से दक्षिण है। मेरे मकान के पूरब सेहन दरवाजा है। मेरे मकान के पश्चिम सेहन दरवाजा है।" यहां वादी द्वारा दोनो दिशाओ में सेहन दरवाजा बताया गया है, जो कि भ्रमात्मक है जबकि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी एवं अभिकथन की आख्या अनुसार पश्चिम दिशा में सेहन बताया गया था तथा पूरब की तरफ कल्लू असरफुल का मकान दर्शाया गया है इस प्रकार यह संभव नहीं है कि किसी के मकान में वादी का सेहन हो। वादी द्वारा विवादित भूमि 85 फिट लम्बा व 58 फिट चौड़ी दर्शायी गयी है परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पश्चिम में क्या है दर्शाया नहीं गया है। जिस कारण वादपत्र का नक्शा पूर्ण नहीं है अस्पष्ट व भ्रामक है।

17. इसके उपरान्त वादीगण की ओर से बतौर साक्षी पी0डब्ल्यू-2 शिवबालक ने अपनी जिरह के दौरान कथन किया कि "सुबई के मकान के दो दरवाजे थे असल दरवाजा पश्चिम की तरफ था तथा दूसरा दरवाजा किसी तरफ नहीं था। मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण कोई दरवाजा नहीं था।" यहां उक्त साक्षी द्वारा प्रथमतः दो दरवाजा होना स्वीकृत किया गया है किन्तु दूसरे दरवाजे की दिशा नहीं बतायी गयी है जो कि साक्षी के कथनों में विरोधाभाष उत्पन्न करता है। उक्त साक्षी द्वारा अपने जिरह में यह भी कथन किया गया कि "मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण खडन्जा है। खडन्जे के दक्षिण रियासत अली का खेत है। खेत पटटे का है व इस पटटे का और हिस्सा सडक के उत्तर है।" यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि वादी मुन्नूलाल द्वारा अपनी जिरह में पृष्ठ संख्या 1 में कथन किया गया है कि रियासत अली का खेत मेरे मकान के दक्षिण है व अमीन आख्या के साथ संलग्न नक्शा नजरी में भी रियासत अली का खेत पश्चिम व दक्षिण में

दिखायी गयी है। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू-2 ने वादी के कथनों को बल नहीं दिया है।

18. साक्षी पी0डब्ल्यू-3 झब्बू द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि "सुबई और मुन्नूलाल के दो मकान हैं सबई का मकान मुन्नूलाल के मकान से जुटा हुआ था। सबई के मकान में बच्चे खाना बनाते थे व मुन्नूलाल के मकान में उनके बच्चे रहते हैं" अतः इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि दो मकान हैं दूसरा मकान मुन्नूलाल द्वारा कहा से खरीदा व हक प्राप्त किया स्पष्ट नहीं है। वादी द्वारा नक्शा वादपत्र में भी दो मकान प्रदर्शित नहीं किये गये हैं। साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया "इस समय उसमें गेहू की फसल है रियासत की गेहू की फसल है रियासतअली (प्रतिवादी) फिर गेहू माडकर फसल बराबर होते रहते हैं। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि उक्त साक्षी ने वादी के कथनों का बल नहीं दिया है व उक्त भूमि में रियासत अली के गेहू का खेत होना बताया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिसे वादी ने अपना सेहन बताया है उसकी पूर्ण चौहददी वर्णित नहीं की है जिस मकान का सेहन है उस मकान की कोई नाप वर्णित नहीं की है सेहन भूमि के बावत विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मूल सम्पत्ति से अधिक बड़ा सेहन/संलग्नक भूमि नहीं हो सकती। सेहन का स्वामित्व जरिये वसीयत प्राप्त नहीं किया जा सकता। वादी के मकान के दक्षिण रास्ते पर उसका निकास न होने एवं दो दिशाओं में स्वयं का सेहन बताने के दृष्टिगत वादी के अभिकथन विश्वसनीय नहीं है। परीक्षित साक्षीगण ने भी वादी के अभिकथित सेहन की स्पष्ट चौहददी और माप के बावत वादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है बल्कि कुछ हद तक प्रतिवादी के कथनों को वादीगण के साक्षी द्वारा बल दिया गया है। अतः वादीगण को विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील बताने में सफल नहीं रहे हैं। वाद बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से निस्तारित की जाती है।

20. इसी क्रम उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि अभिकथित विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट व सही नक्शा नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत वाद बिन्दु संख्या 5 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है। .

21. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3—

वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 का निस्तारण पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29.04.2010 को किया जा चुका है जो निर्णय का भाग रहेगा।

22. वाद बिन्दु संख्या 4— वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 से बाधित है?**

23. उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद बिन्दु पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया है न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादपत्र की धारा 14 में कथन किया गया है कि कोर्ट फीस कम दी गयी है। कोर्ट फीस का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

24. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 6— वाद बिन्दु संख्या 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?**

25. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण में यह बल पाया गया है कि वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण पाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादीगण किसी अन्य अनुतोष को भी पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीगण अपने मुख्य अनुतोष को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

26. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु संख्या 1 ता 6 के दिये गये निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण अपने किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से किसी भी अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थायी

निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

:-आदेश:-

27. वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक-08.09.2022

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डि0/
त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशाम्बी।
आई0डी0नंबर-3431

28. आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-08.09.2022

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डि0/
त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशाम्बी।
आई0डी0नंबर-3431